कालेज कोड-3053 मो0: 9452016953

हरि चन्द्रा महाविद्यालय

हंडेला-गोला रोड, अलीगंज - खीरी

पत्रांक HC/20/2026 दिनांक 23...02...2026

OFFICE OF THE REGISTRAR
23 FEB 2026
No. 2716
LUCKNOW UNIV.

सेवा में,

कुल सचिव

लखनऊ विश्वविद्यालय,

लखनऊ।

विषयः–विज्ञापन को विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन करना है कि महाविद्यालय में परास्नातक (एम0ए0) स्तर पर विषय चित्रकला (Drawing & Painting) एवं स्नातक (बी0एस0सी0) स्तर पर जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान व रसायन विज्ञान विषय मे सहायक आचार्य पद के लिए विज्ञापन समाचार पत्रों मे करा दिया गया हैं जिसे विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

महान कृपा होगी।

भवदीय

प्रबन्धक
हरि चन्द्रा महाविद्यालय
हण्डेला, गोला रोड
अलीगंज-खीरी

संलग्नकः–

1– समाचार पत्र

2– NOC कॉपी

3– बी0ए0 व बी0एस0सी0 मान्यता कॉपी

इंचार्ज (बेवसाइट)

DM

23/2/2026

...रद्वाज, हिमाशु देवल सौरभ कटियार, ...सिंह विमल ओमर,सहित कमेटी के समस्त ... दृष्टि से क्षेत्राधिकारी जलालाबाद अजय राय ...जलालाबाद दुर्गेश यादव,थाना जलालाबाद प्रभारी ...सुधीर तोमर मय पुलिस फोर्स सहित मौजूद रहे।

रामसनेहीघाट क्षेत्र के पनाइपुरवा गांव निवासी संजीव तिवारी की बेटी की शादी भिटरिया के एक निजी लॉन में आयोजित थी। बारात हैदरगढ़ क्षेत्र के रनापुर गांव से आई थी। द्वारचार की रस्म पूरी होने के बाद पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में हार्ट अटैक की आशंका जताई गई है। घटना की खबर मिलते ही शादी समारोह में हड़कंप मच गया। जहां कुछ देर पहले तक बैंड-बाजे और हंसी की

...ी चकबंदी कार्यों व लम्बित वादों की समीक्षा

...कारी शशांक ...भागार में उप ...अधिकारियों ...चकबंदी कार्यों ...स्तुत समीक्षा ...मिक पीठासीन ...ए निर्देश दिए ...वर्ष से लंबित ...गुण-दोष के आधार पर शीघ्र एवं प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष से अधिक समय तक कोई भी वाद लंबित नहीं रहना चाहिए, साथ ही 3 से 5 वर्ष से लंबित मामलों में भी प्रभावी व त्वरित कार्रवाई गुणदोष आधार पर की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि चकबंदी से जुड़े मामलों के समयबद्ध निस्तारण से काश्तकारों को शीघ्र न्याय मिलेगा तथा प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वाद निस्तारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने जनपद में चकबंदी प्रक्रिया गतिमान ग्रामों की धारावार प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि चकबंदी से संबंधित सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। बैठक में बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी (एसओसी) श्री संजय कुमार विश्वास, चकबंदी अधिकारी सहित सहायक चकबंदी अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अपने पुत्र रोहित कुमार दीक्षित निवासी ग्राम व पोस्ट अलीगंज, जिला लखीमपुर खीरी को गलत आचरण के चलते अपनी समस्त चल अचल संपत्ति से बेदखल करती हूं। रोहित कुमार दीक्षित भविष्य में किसी भी प्रकार के लेनदेन, वाद विवाद या न्यायालय संबंधी मुकदमा आदि के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उसके किसी भी किए गए क्रियाकलाप से प्रार्थिनी को कोई वास्ता नहीं है।

माधुरी देवी पत्नी स्वर्गीय रमेश कुमार दीक्षित
निवासी ग्राम व पोस्ट अलीगंज, तहसील गोला
गोकर्णनाथ, जिला लखीमपुर- खीरी

...र्षोत्सव संपन्न

...नगर के प्रमुख मंदिरों के पुजारियों एवं ब्राह्मणों को वस्त्र व दक्षिणा देकर भोजन कराया गया।

एआरटीओ कार्यालय सभागार मे परिवहन मेले मे दिखा वाहन स्वामियो का उत्साह

बाराबंकी (स्पष्ट आवाज)शासन द्वारा व्यवसायिक वाहन स्वामियों को बकाया कर भुगतान के लिए वन टाइम टैक्स सेटलमेंट योजना के तहत उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय सभागार मे सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अंकिता शुक्ला की अध्यक्षता मे परिवहन मेला का आयोजन किया गया। दो दिवसीय परिवहन मेला मे आज 20 फरवरी लगभग 40 वाहन स्वामियो ने प्रतिभाग कर योजना के सम्बन्ध मे जानकारी ली। मौके पर 5 वाहन स्वामियो द्वारा कर भुगतान कर योजना का लाभ उठाया गया। मेले मे एआरटीओ प्रशासन श्रीमती शुक्ला ने वाहन स्वामियो को टैक्स की गणना, पंजीकरण, परमिट और लाइसेंस से जुड़ी जानकारियां दी। तथा ऑफलाइन के माध्यम से कार्यालय पर सम्पर्क कर टैक्स जमा करने की अपील की। एआरटीओ ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक वाहनों (कमर्शियल वाहनों) के लिए नई वन टाइम टैक्स (एकमुश्त कर) व्यवस्था के बारे में जानकारी देकर वाहन स्वामियो को बार-बार कर जमा करने की जटिल प्रक्रिया से राहत दिलाना और पारदर्शी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। उन्होंने आगे बताया कि भाड़े या पारिश्रमिक पर चलने वाले दोपहिया वाहन, तिपहिया मोटर कैब, 10 लाख रुपये तक और 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के मोटर कैब (तिपहिया को छोड़कर), मैक्सी कैब, निर्माण उपकरण व विशेष प्रयोजन वाहन, 3000 किग्रा तक और 3000 से 7500 किग्रा तक के माल वाहन और राज्य परिवहन उपक्रम के सार्वजनिक सेवा वाहन छूट का लाभ प्राप्त सकेंगे।

हरि चन्द्रा महाविद्यालय

हंडेला-गोला रोड, अलीगंज - खीरी

सम्बद्ध-लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ- कालेज कोड 3053

आवश्यकता है

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग के विषयों में जन्तु विज्ञान के लिए 3 पद, -वनस्पति विज्ञान के 3-पद - रसायन विज्ञान के लिए 3 पद तथा परास्नातक स्तर पर कला संकाय में विषय में चित्रकला के लिए 4 पद पर सहायक आचार्य/आचार्यओं की आवश्यकता है। इच्छुक अभ्यार्थी अपना आवेदन पत्र अपने मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ डाक द्वारा या स्वयं महाविद्यालय में 10 दिनों के अन्दर जमा कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता यू.जी.सी. के अनुसार या लखनऊ विश्व विद्यालय के अनुसार वांछनीय हैं।

प्रबन्धक
पता- हरि चन्द्रा महाविद्यालय
हंडेला, गोला रोड,
अलीगंज - लखीमपुर खीरी
मो.-9452016953, 9450175793

...47/1, क्ले स्क्वायर होम्स कबीर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित। आर.एन.आई. पंजीयन संख्या: U.P. HIN/2004/13625, डाक पंजीयन संख्या- SSP/LW/NP-119/2010-12
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचार के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट की धारा- 7 के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनमें उत्पन्न समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन होंगे।

...9016953

...सम्ब.अनु./2026

...किये जाने के

...2012 में वर्णित ... गोला रोड, ...ड्राइंग पेन्टिंग) ...हीन अनापत्ति

...या जायेगा। ...जायेगी। यदि ...नियमानुसार

...3075/सत्तर ...166)/2002, ...वरी, 2003, ...शासनादेश ...तत्सम्बन्धी

...न से मांग ...सरकार की

...धाओं की

...जायेगा एवं

...भवन में संचालित ...साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम हडेला, अलीगंज, **भूमि गाटा संख्या : 258 व 259, कुल रकबा 14650** वर्गमीटर में मानकानुसार उक्त भूमि को सहयुक्तता के प्रस्ताव के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7. ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया
Bamola
(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या : /एन.ओ.सी./सम्बद्धता/2026, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आशियाना, लखनऊ।
2. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

हरि चन्द्रा महाविद्यालय
हण्डेला गोला रोड
अलीगंज-खीरी

कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007
(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या : R/29 / एन.ओ.सी. / सम्ब.अनु. / 2026

दिनांक : 17/01/2026

सेवा में,

प्रबन्धक,
हरि चन्द्रा महाविद्यालय,
हडेला गोला रोड, अलीगंज, खीरी।

विषय : नवीन महाविद्यालय / पाठ्यक्रम / विषय की स्थापना / संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2103 / सत्तर–2–2012–2(166) / 2002, दिनांक 09.08.2012 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त **हरि चन्द्रा महाविद्यालय, हडेला, गोला रोड, अलीगंज, खीरी में बी०ए० अतिरिक्त विषय** (शिक्षाशास्त्र व राजीनिति विज्ञान) **तथा एम०ए०** (ड्राइंग पेन्टिंग) **पाठ्यकम** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है जिनकी पूर्ति सहयुक्तता से पूर्व अपेक्षित होगी :–

1. **संदर्भित पाठ्यकम का संचालन विश्वविद्यालय से सहयुक्तता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सहयुक्तता / मान्यता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। यदि कोई महाविद्यालय सहयुक्तता प्राप्त किये बगैर प्रवेश की कोई कार्यवाही करेगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।**
2. उपर्युक्त पाठ्यकम की सहयुक्तता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान शासनादेश संख्या–3075 / सत्तर –2–2002–2(166) / 2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश संख्या–3411 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002, शासनादेश संख्या–193 / सत्तर–2–2003–2 (166) / 2002, दिनांक 13 जनवरी, 2003, शासनादेश संख्या–585मु.म. / सत्तर–2–2005–2 (166) / 2002, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 तथा शासनादेश संख्या–743मु.मं. / सत्तर–2–2006–2 (166) / 2002, दिनांक 07 नवम्बर, 2006 तथा समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताएं पूर्ण कर लेगी।
3. संदर्भित संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो शासन से मांग करेगा और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी। संस्थान के किसी दायित्व से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।
4. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सहयुक्तता से पूर्व संस्थान द्वारा की जायेगी।
5. संदर्भित पाठ्यकम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सहयुक्तता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
6. संदर्भित पाठ्यकम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू–अभिलेखों में उल्लिखित **ग्राम हडेला, अलीगंज, गोला, लखीमपुर खीरी स्थित भूमि गाटा संख्या : 258 व 259, कुल रकबा 14650 वर्गमीटर** में मानकानुसार निर्मित भवन में संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उक्त भूमि को सहयुक्तता के प्रस्ताव के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा।
7. ट्रस्ट / सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया
(हस्ताक्षर)
(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या : / एन.ओ.सी. / सम्बद्धता / 2026, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आशियाना, लखनऊ।
2. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

प्रबन्धक
हरि चन्द्रा महाविद्यालय
हण्डेला गोला रोड
अलीगंज–खीरी

कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या : R/719 /सम्बद्धता अनु./2022

दिनांक : 19/05/2022

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक,
हरि चन्द्रा महाविद्यालय,
अलीगंज, खीरी।

महोदय,

कृपया स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **बी0एस–सी0 पाठ्यक्रम** की स्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने विषयक अपने पत्र दिनांक 04.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्ववित्तपोषित य बी0एस–सी0 पाठ्यकम की स्थायी सहयुक्तता हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में प्राप्त संस्तुति एवं महाविद्यालय के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में कार्य परिषद की बैठक दिनांक **19.05.2022** के मद संख्या : 01(127) द्वारा **बी0एस–सी0 पाठ्यकम** की **सत्र 2022–23** से निम्न शर्तों के अधीन स्थायी सहयुक्तता प्रदान कर दी गयी है :–

1. समय–समय पर उ0प्र0 शासन व विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
2. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
3. महाविद्यालय की वेबसाईट तथा विश्वविद्यालय के यू0डी0आर0सी0 पोर्टल पर प्राचार्य व प्रवक्ताओं का पूर्ण विवरण प्रत्येक दशा में अपलोड किया जायेगा।
4. संस्थान द्वारा प्रवेश व परीक्षा आदि के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर–एम, आशियाना, लखनऊ।
2. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

प्रबन्धक
हरि चन्द्रा महाविद्यालय
हण्डेला, गोला रोड
अलीगंज–खीरी

सम्बद्धता आदेश संख्या–सी०एस०जे०एम०वि०वि० / कुसका० / सम्ब० / 540 / 2019 दिनांक: 30.05.2019 द्वारा कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 30.05.2019) से **हरि चन्द्रा महाविद्यालय, हंडेला, गोला रोड, लखीमपुर–खीरी को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, चित्रकला, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं गृह विज्ञान** विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2019–20 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. **शैक्षिक सत्र 2018–19 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2019–20 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम / विषयों का सत्र 2018–19 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2019–20 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।**
2. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय समय–समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
7. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16(20) / 2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
9. **महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।** पाठ्यक्रम में प्रवेश **शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।**

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सम्ब. / 841 / 2019 दिनांक: 30/07/2019

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, **हरि चन्द्रा महाविद्यालय, हंडेला, गोला रोड, लखीमपुर–खीरी** को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित विषयों का सत्र 2018–19 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। अतः आदेशानुसार महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, **अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, चित्रकला, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं गृह विज्ञान** विषयों में दिनांक: 01.07.2019 से **सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है।**
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
5. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुल सचिव

हरि चन्द्रा महाविद्यालय
हण्डेला, गोला रोड
अलीगंज–खीरी